



मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक: 16.04.2025

थाना पड़री क्षेत्रान्तर्गत हुई सनसनीखेज हत्याकाण्ड से सम्बन्धित 04 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त एक अदद आलाकत्ल चाकू व लूट की बोलेरो वाहन बरामद —

थाना पड़री पर दिनांक: 12.04.2025 को वादी अमित कुमार गुप्ता पुत्र तौलन गुप्ता निवासी कम्हारी थाना पड़री जनपद मीरजापुर द्वारा लिखित तहरीर दी गई थी कि दिनांक: 10.04.2025 को मेरा छोटा भाई प्रमोद गुप्ता उम्र करीब-26 वर्ष, जोकि घर से बोलेरो वाहन संख्या: UP67L0150 को लेकर विदाई कराने के लिए निकला था परन्तु देर शाम घर वापस नहीं आया। इस सूचना पर थाना पड़री पर गुमशुदगी दर्ज कर भौतिक/इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलित करते हुए गुमशुदा की तलाश/खोजबीन प्रारम्भ किया गया। दिनांक: 14.04.2025 को थाना लालगंज के बहुती जंगल में नर कंकाल होने की सूचना पर पुलिस उच्चाधिकारी, फॉरेंसिक टीम व थाना स्थानीय पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचे तथा मृतक के परिजनों द्वारा नर कंकाल, बरामद जूता-मोजा एवं टूटी हुई मोबाइल के आधार पर मृतक की पहचान प्रमोद गुप्ता के रूप में की गई। उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी अमित कुमार गुप्ता द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पड़री पर मु0अ0सं0-52/2025 धारा 3(5), 103, 238, 309(4) बीएनएस पंजीकृत कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "सोमेन बर्मा" द्वारा उक्त हत्या एवं वाहन लूट की घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ऑपरेशन-ओ0पी0सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर-अमर बहादुर के नेतृत्व में 03 पुलिस टीमों, एसओजी व सर्विलांस को अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमों गठित की गयी थी।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना पड़री, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक: 16.04.2025 को प्राप्त सूचना के आधार पर घटना से सम्बन्धित 03 नफर बालअपचारी को पकड़ा गया, जिनकी निशानदेही पर हत्या की घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू(आलाकत्ल), बोलेरो वाहन में रखी 02 अदद खून लगी शर्ट(बालअपचारी) एवं लूटी गई बोलेरो वाहन संख्या: UP67L0150 को बरामद किया गया। बालअपचारियों ने बोलेरो में लगी मेट व म्यूजिक सिस्टम को हेमन्त कुमार पाण्डेय उर्फ दीपक के पास रखा होना बताया। थाना पड़री पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त में अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में पुलिस टीमों द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रकाश में आये चौथे अभियुक्त हेमन्त कुमार पाण्डेय उर्फ दीपक पुत्र स्व0देवदत्त उर्फ लालबहादुर निवासी पथरौर थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर को प्राथमिक विद्यालय पथरौर के पास से गिरफ्तार कर बोलेरो वाहन में लगी 03 अदद प्लास्टिक की मेट तथा म्यूजिक सिस्टम बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पड़री पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए पकड़े गए बालअपचारी एवं गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल/किशोर न्याय बोर्ड भेजा जा रहा है।

पूछताछ विवरण —

पकड़े गए 03 नफर बालअपचारियों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उनके द्वारा मृतक को षड़यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरिके से विदाई कराने के नाम पर बोलेरो वाहन की बुकिंग की गयी तथा अपने कम व बोलेरो वाहन चालक प्रमोद गुप्ता को जंगल में अधिक शराब पिलाकर नशे की हालत में होने पर चाकू से गर्दन पर प्रहार कर हत्या कर शव को बहुती जंगल में छिपा दिया गया था तथा लूट की बोलेरो वाहन को बिक्री हेतु हेमन्त कुमार पाण्डेय को दे दिया गया। हेमन्त पाण्डेय से ₹ 01 लाख 35 हजार रुपये में बोलेरो वाहन की खरीद-बिक्री की बात तय हुई थीं जिसके लिए तीनों बाल अपचारी करीब 10-15 दिवस पूर्व से योजना बना रहे थे कि किसी बोलेरो वाहन की बुकिंग की जाय और वाहन को लूट कर बेच दिया जाये। जिससे प्राप्त धनराशि को आपस में बांटने की बात बतायी गयी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

हेमन्त कुमार पाण्डेय उर्फ दीपक पुत्र स्व0देवदत्त उर्फ लालबहादुर निवासी पथरौर थाना सन्तनगर मीरजापुर, उम्र करीब-35वर्ष
03 नफर बाल अपचारी।

बरामदगी विवरण —

- घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू(आलाकत्ल) व 02 अदद खून लगी शर्ट(बालअपचारी)
- बोलेरो में लगी 03 अदद प्लास्टिक की मैट व 01 अदद म्यूजिक सिस्टम ।
- लूट की एक अदद बोलेरो UP67L0150

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-52/2025 धारा 3(5),103,238,309(4),61(2),317(2),317(4) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पड़री जनपद मीरजापुर

गिरफ्तारी स्थान, दिनांक व समय —

प्राथमिक विद्यालय पथरौर के पास से, आज दिनांक:16.04.2025 को समय 09.35 बजे ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

- थानाध्यक्ष पड़री-दयाशंकर ओझा मय पुलिस टीम ।
- निरीक्षक राजीव कुमार सिंह प्रभारी एसओजी मय पुलिस टीम ।
- उप निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस मय पुलिस टीम ।

इस सनसनीखेज घटना के सभी मुल्जिमों की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा ₹ 25 हजार के इनाम की घोषणा की गयी ।

